Section
OM
Date 24/3/2020
O/c
OS 1369
Inward No.

Development

ई–मेल / फेक्स
विधान सभा अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकः– प04(132)राज–3/2020 जयपुर दिनांकः– 19-3-2020

जिला कलक्टर
भीलवाडा।

विषयः– 15 वीं राजस्थान विधान सभा के सत्र–4 का नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा श्री गोपी चन्द मीणा, माननीय विधायक द्वारा विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के राजस्व गांवों की आबादी घोषित करने के संबंध में है।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत 15 वीं राजस्थान विधान सभा के सत्र–4 का नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा श्री गोपी चन्द मीणा, माननीय विधायक की फोटो प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में तथ्यात्मक विवरण आज ही जरिये फैक्स/ई–मेल आईडी **dsrevenue3@gmail.com** पर भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

19.3.20

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner

सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

131/730

विषय:-राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव : विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजस्व गांवों की आबादी घोषित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के गांवों को आबादी घोषित करने के संबंध में निवेदन है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा द्वितीय नगर पालिका जहाजपुर जिसकी आबादी 600 से ऊपर की आबादी है जो कि 58 वर्ष पूर्व में ही बसा होने के बाद भी खसरा नं. 1193, 24 बीघा भूमि पर बसा हुआ है।

अत: गरीब जनजाति के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। अत: उक्त भूमि खसरा नं. 1193 से आबादी में घोषित कराने के लिए राज्य सरकार से आग्रह है कि आबादी में दर्ज कर पट्टा दिलाने की मैं मागं करता हूं।

इसी तरह से राजस्व ग्राम रतनपुरा ग्राम पंचायत मनोहरपुरा का गांव भी 60 वर्ष पूर्व में बसा हुआ है। बड़ा गांव है तथा 600 से 700 तक की आबादी है। इन गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य विकास के कार्यों से वंचित है।

अत: उक्त गांवों में मूलभूत सुविधाऐं दिलाने के लिए राजस्व रिकार्ड में आबादी दर्ज कर ग्रामीणों को निशुल्क पट्टा आवंटित कर राहत प्रदान करावें।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर माननीय संबंधित मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा।

भवदीय,

(गोपी चन्द मीणा)
विभाजन संख्या:48

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

कमांक / स्थापना / 2020 / 123
प्रेषिति,

दिनांक 20 / 03 / 2020

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
भीलवाडा

विषयः— 15वीं राजस्थान विधानसभा सत्र 4 का नियम —131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री गोपी चन्द मीणा (48) माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा जहाजपुर क्षेत्र के राजस्व गावों की आबादी घोषित करने के संबध में।

प्रसंगः— श्रीमान के आदेश कमांक / एफ 24—3 / पंचायत / 2020 / दिनांक 20.03.2020 के कम मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के कम में निवेदन है कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधि नियमो के नियम—131 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के गांवो को आबादी घोषित करने के संबध में ग्राम लक्ष्मीपुरा द्वितीय नगर पालिका जहाजपुर जिसकी आबादी 600 से उपर की आबादी है जो कि 58 वर्ष पूर्व ही बसे होने के बाद भी खसरा नं. 1193.24 बीघा भूमि पर बसा हुआ है। गरीब जनजाति के लोगो को मूलभूत सुविधाओ से वंचित रहना पड रहा है। अतः उक्त भूमि ख.न. 1193 से आबादी में घोषित कराने के लिये राज्य सरकार से आग्रह है कि आबादी में दर्ज कर पट्टा दिलाने के सम्बन्ध मे तथा राजस्व ग्राम रतनपुरा ग्राम पंचायत मनोहरपुरा में आबादी विस्तार के संबध में तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम लक्ष्मीपुरा प. म. बिन्ध्याभाटा में आ.न. 1193 शा.न 1223, 1225 रकबा 24.00 बीघा राजस्व रेकार्ड में नगर पालिका जहाजपुर सुरक्षित चरागाह रकबा 24.00 बीघा गे मु आबादी दर्ज है। वर्तमान में उक्त आ.न. 1193 में ही आबादी बसी हुई है। पूर्व में ग्राम लक्ष्मीपुरा विरान था एवं ग्राम बिन्दी से आबादी उक्त आबादी भूमि में लोग बसे हुए है। ग्राम लक्ष्मीपुरा के निवासियों द्वारा नगर पालिका जहाजपुर सुरक्षित चरागाह दर्ज है। जिसम से सुरक्षित चरागाह दर्ज है जिसमें से सुरक्षित चरागाह को हटाना चाहते है। जो की प्रकरण नगर पालिका से संबधित है।

तथा ग्राम रतनपुरा में आबादी भूमि आ.न. 146, 150/1 कुल किता 14-16, 10.00 बीघा गे. मु. आबादी राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसमे आबादी बसी हुई है। ग्राम की आबादी अधिक होने से आ.न. 186/175 रकबा 64.13 किस्म चरागाह में लगभग 300 से 400 की आबादी बसी हुई है। जिन्होने पक्के मकान एवं बाडे बनाकर रखे। ग्राम रतनपुरा में आ.न. 186/175 रकबा 64.13 बीघा के बदले बिलानाम भूमि नही होने से पुर्व मे भी चरागाह से बिलानाम के प्रस्ताव भिजवाये गये थे। चरागाह भूमि के क्षतिपूर्ति के अभाव में स्वीकृत नही हुये।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.08.21 17:14:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: